

कार्यालय
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-Mail:- deansshahdol@gmail.com

Website:- WWW.GMCSHAHDOL.ORG

कमांक/स्था.अराज/शा.चि.म.वि./2024/...।१७

शहडोल, दिनांक 13/03/2024

!! आदेश !!

संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं./2920-22/स्था/नर्सिंग/2022 भोपाल, दिनांक 08.12.2022 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रं./ए-5-181-2015/55-2 भोपाल दिनांक 16.12.2015, के निर्देश तथा म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अंतर्गत संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्र 932/स्था/अराज/संचिशि/2019 भोपाल दिनांक 24.08.2019 तथा मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2-20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 09.04.2021 में किए गए प्रावधानों के तहत बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में गठित स्कूटनी समिति की अनुशंसानुसार शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर म.प्र. से बी.एस.सी.नर्सिंग उत्तीर्ण निम्नलिखित अनुबंधित छात्रा को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर आगामी आदेश तक 03 माह के लिये निश्चित पारिश्रमिक मानदेय रूपए 10,000/- (दस हजार रूपए) मात्र पर अस्थायी रूप से निर्धारित शर्तों के अधीन सीधे नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

पद का नाम-नर्सिंग ऑफिसर			
स. क्र.	नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी (संवर्ग)
1.	उमा गुप्ता पिता- स्व0 श्री राज लाल गुप्ता	आदर्श वार्ड नं.-40 हास्पिटल कॉलोनी बैद्वन सिंगरौली म.प्र. पिन कोड-486886	अनारक्षित (महिला)

नियुक्ति की शर्तें:-

- 1 आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में स्वयं उपस्थित होकर प्रतिवेदन (कार्यभार ग्रहण) करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- 2 उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3 नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
- 4 स्वयं के व्यय पर स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5 कार्यरत कर्मचारी की 03 माह पश्चात परीक्षा ली जावेगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही कर्मचारी को नियमित स्थापना के पद में नियुक्ति किया जावेगा।
- 6 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
- 7 परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान रूपये 28700-91300 के सातवें वेतन लेवल-7 में न्यूनतम वेतन रूपये-28700/- प्रतिमाह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
- 8 आपकी सेवारत किसी भी समय एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का अग्रिम वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरांत 01 माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत 01 माह के वेतन तथा भत्ते के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया कि भांति वसूली योग्य होगी।



9. नियुक्त व्यक्ति म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वशारी चिकित्सा महाविद्यालय गैर-शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
- 10 संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवार्य समाप्त की जा सकेंगी।
- 11 नियुक्त व्यक्ति को रु. 50/- के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि भेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
- 12 चयनित पत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवार्य समाप्त की जा सकेंगी।
- 13 आपकी नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है तथा आपकी सेवार्य संस्था की किसी भी विभाग में ली जा सकती है।
- 14 पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान में सेवारत नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृति त्याग पत्र अथवा सेवारत् न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 15 नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
- 16 किसी भी राजनैतिक एवं विवादित गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, यदि यह पाया जाता है कि आप किसी विवादित अथवा किसी भी अवधित गतिविधि में लिप्त है तब अधिष्ठाता को आपकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 17 सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
- 18 म.प्र. शासन गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3597/2009/दो/सी-1 दिनांक 26.12.2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनसे जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवार्य देने से इंकार नहीं कर सकता। यदि कोई सेवक अत्यावश्यक सेवा को करने से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध म0प्र0 अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- 19 चयनित अभ्यार्थियों को पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

नोट :- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

—/—
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)
शहडोल, दिनांक 13/03/2024

पृ.कमांक/स्था.अराज/शा.चि.म.वि./2024/1974-1983
प्रतिलिपि :- की ओर वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

- 1 अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0।
- 2 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल म0प्र0।
- 3 संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.।
- 4 आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
- 5 कलेक्टर जिला शहडोल म.प्र.।
- 6 महालेखाकर, ग्वालियर म.प्र.।
- 7 संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र.।
- 8 स्थानीय लेखा-शाखा, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
- 9 संबंधित की ओर भेज कर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु04/ट्रेजरी बालान हेड- 0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा। सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Me
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)